

यह कि यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्चें देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 23.03.2017 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

खातेदार का नाम पता व शाखा का नाम	बकाया धनराशि	संपत्ति का विवरण/ बंधक सम्पत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि	डिमांड नोटिस/ अधिग्रहण तिथि
मैसर्स टॉक जिला खादी ग्राम उद्योग समिति जरिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/ सचिव, सह-सचिव पता- बून्दूखान की हवेली, पांच बत्ती के पास, काली पलटन टॉक राजस्थान। शाखा- टॉक	1,14,65,874.11 दिनांक 21.02.2017 को	वाणिज्यिक दूकान क्षेत्रफल 23.65 वर्गमीटर दूकान नं. 63, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड, जयपुर राजस्थान में स्थित। सीमाएं- उत्तर में: मकान नं. 239, दक्षिण में: 120 फिट चौड़ी रोड, पूर्व में: दूकान नं. 64, पश्चिम में: दूकान नं. 62  रिहायशी भवन क्षेत्रफल 1334.25 वर्गफीट मकान नं. 55, 4 हटाई रोड, वार्ड नं. 3, नेनवा, जिला बूंदी में स्थित। सीमाएं- उत्तर में: श्री कपूरचन्द का मकान, दक्षिण में: श्री रामनाथ का मकान, पूर्व में: अन्य का मकान, पश्चिम में: आम रास्ता।  वाणिज्यिक भवन क्षेत्रफल 12,500 वर्गफिट गांव काकोद, तहसील उनियारा जिला टॉक, राजस्थान में स्थित। सीमाएं- उत्तर में: रोड, दक्षिण में: अबेचक गली, पूर्व में: ग्राम पंचायत-काकोद की खुली भूमि, पश्चिम में: ग्राम पंचायत-काकोद की खुली भूमि।	34.87 लाख 3.49 लाख  21.76 लाख 2.18 लाख  70.65 लाख 7.07 लाख	16.07.2016   21.02.2017

नियम व शर्तें:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> के माध्यम से दिनांक 23.03.2017 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः वित्तर के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (ऑक्शन टाईगर) अहमदाबाद हेल्पलाईन नं. 07940230806/816/821/823/824/825/826/827 पर संपर्क सूत्र श्री जिनेश जरीवाला मो. 09537046315, ई-मेल: [rajasthan@auctiontiger.net](mailto:rajasthan@auctiontiger.net), [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net), टोल फ्री नं. 1800 1035342, के पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर देख सकते है तथा संबंधित प्रपत्र डाउनलोड कर सकते है। 4. इच्छुक निविदाकर्ता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड से ई-नीलामी हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है तथा मदद के लिये हेल्पलाईन नं. 07940230806/816/821/823/824/825/826/827 पर संपर्क कर सकते है। 5. बिड निर्धारित ऋण पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगी। 6. ऑनलाईन बिड जमा करने की अंतिम तिथि 21.03.2017 सांय 04:00 बजे तक है। 7. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से यूको बैंक, शाखा टॉक के नाम से जमा करानी होगी। 8. अन्य जानकारी के लिये प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक अंचल कार्यालय अजमेर फोन नं. 0145-2622662, 0145-2424018, 0943806171 एवं शाखा प्रबंधक यूको बैंक टॉक से 01432-247193 पर संपर्क किया जा सकता है।